

प्रेस-विज्ञप्तिथाना रौनापारतमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी सगड़ी तथा थानाध्यक्ष रौनापार अखिलेश पाण्डेय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उप निरीक्षक राजेश कुमार मय फोर्स द्वारा आज दिनांक 09.10.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर करखिया मोड़ वहद ग्राम चालाकपुर से समय करीब 04.00 बजे अभियुक्त (1) माहताब पुत्र अबूसामा निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को पकड़ा गया जिसके पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 176/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

माहताब पुत्र अबूसामा निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजेश कुमार रौनापार आजमगढ़
2. का0 संदीप कुमार थाना रौनापार आजमगढ़
3. का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार आजमगढ़

थाना-जीयनपुरकूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से कालेज का रजिस्ट्रेशन कराने वाला एक गिरफ्तार

कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से कमेटी का गठन कर गिरजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय की बिल्डिंग पर माँ विद्यावती होमियो पैथिक फार्मेशी कालेज का बोर्ड लगाकर स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित जाँच कमेटी के तीनों अधिकारियों के मिली भगत से फर्जी रिपोर्ट तैयार कर माँ विद्यावती होमियो पैथिक फार्मेशी कालेज का रजिस्ट्रेशन करा लेना के सम्बन्ध में अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र स्व0 राम पलट सिंह निवासी हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ आदि के विरुद्ध दिनांक 24.6.201 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक अपराध दिनेश कुमार यादव मय राह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के अधार पर मु0अ0सं0 170/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र स्व0 राम पलट सिंह निवासी हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम हरई इस्माइलपुर से समय 5.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0 अ0 सं0 170/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर ,आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- मनोज सिंह पुत्र स्व0 राम पलट सिंह निवासी हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र0नि0अ0 दिनेश कुमार यादव थाना जीयनपुर, आजमगढ़
2. का0 प्रमोद यादव थाना कोतवाली जीयनपुर,-आजमगढ़।
3. का0 अँकुर सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर,-आजमगढ़।
4. म.का. साधना तोमर थाना कोतवाली जीयनपुर,-आजमगढ़।
5. म.का. नीलम देवी थाना कोतवाली जीयनपुर,-आजमगढ़।

## थाना- दीदारगंज

### चार गोवंशीय पशु , टाटा मैजिक व मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़ व मय राह उ0नि0 धनराज सिंह द्वारा तलाश वांछित, तलाश वारण्टी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व शान्ति व्यवस्था डियूटी नवरात्रि त्यौहार में कुशल गांव में मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना पर थानाध्यक्ष मय राही प्रस्थान कर ग्राम लारपुर बक्सू पहुंचा और थोड़ी देर बाद एक टाटा मैजिक लारपुर बक्सू की तरफ से आता दिखायी दिया टार्च की रोशनी व हाथ के इशारे से रोकने का इशारा पुलिस वालो द्वारा किया गया कि पुलिस वालो को देखकर टाटा मैजिक व मोटरसाइकिल का अज्ञात चालक व उनके सहयोगी उक्त दोनो वाहन को छोड़कर भाग गये। टाटा मैजिक का ढाला खोलकर देखा गया तो टाटा मैजिक के अन्दर दो गाय व दो बछड़ा जिन्हे क्रूरता पूर्वक उनके मुह व पैर बांधे गये थे टाटा मैजिक, मोटरसाइकिल करीब 3.15 बजे कब्जा पुलिस में लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3/5क (6)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण अधि 1955 एवं उ0प्र0 गोवध निवारण ( संशोधन) अध्यादेश 2020 एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

- 1- मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3/5क (6)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण अधि 1955 एवं उ0प्र0 गोवध निवारण ( संशोधन) अध्यादेश 2020 एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दीदारगंज आजमगढ़।

बरामदगी-

- एक अदद टाटा मैजिक, एक मोटर साइकिल, दो अदद गाय, दो अदद बछड़ा घटनास्थल-

- लारपुर बक्सू

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।
- 2-उ0नि0 धनराज सिंह थान दीदारगंज आजमगढ़।
- 3- का0 अनुप कुमार यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।
- 3- का0 कन्हैया कुमार आजमगढ़।
- 4- म0का0 कृष्णा शुक्ला थाना दीदारगंज आजमगढ़।

## थाना बिलरियागंज

### 52 ताश के पत्ते व नगदी के साथ 04 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2021 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम व चेकिंग वाहन व आगामी त्योहार के उपलक्ष्य मे कस्बा बिलरियागंज मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की पुराना चौक सब्जी के आगे एक स्थान पर चार व्यक्ति हार जीत की बाजी लगाते हुये ताश के 52 पत्ते से जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर मय राह कर्मचारीगण को मकसद बताते हुए मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचे तो चार व्यक्ति आपस मे हार जीत की बाजी लगाते हुए ताश के पत्तो और पैसो को एक कपड़े पर रखकर खेलते हुये दिखाई दिये एक बारगी पुलिस को देखकर भागने लगे लेकिन सभी लोगो को पकड़ लिया गया और पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो क्रमशः अपना नाम (1) कपूर चन्द पुत्र रामरूप निवासी कस्बा बिलरियागंज आजमगढ़ (2) नौशाद पुत्र अंसार निवासी चौक भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (3) महेश राजभर पुत्र शामलाल राजभर निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (4) दीपक राजभर पुत्र राजाराम निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जिनके कब्जे से ताश के 52 पत्ते मालफ ड 840 रुपये व जामातलाशी से 635 रुपये बरामद हुये। उपरोक्त सभी लोगो को अन्तर्गत धारा 13 जुआ अधिनियम का अपराध बताकर समय 11.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- (1) कपूर चन्द पुत्र रामरूप निवासी कस्बा बिलरियागंज आजमगढ़।
- (2) नौशाद पुत्र अंसार निवासी चौक भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- (3) महेश राजभर पुत्र शामलाल राजभर निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- (4) दीपक राजभर पुत्र राजाराम निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

बरामदगी-

- ताश के 52 पत्ते व मालवाड़ 840 रुपये व जामातलाशी से 635 रुपये।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 175/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 कन्हैयाल लाल मौर्य थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।
- 2- का0 सतीमान थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।
- 3- का0 अजय पटेल थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

### **थाना मुबारकपुर**

#### **1 नफर वारंटी गिरफ्तार**

आज दिनांक- 9.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में अभियान के क्रम में वारंटी मुस्तफा उर्फ कसाई पुत्र मो0 इदरीश उर्फ मंगरू निवासी इस्लामपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ सम्बन्धित एस0टी0 नं0 321/19 मु0अ0सं0 147/2019 धारा- 272/273 IPC व 60 EX ACT की बाउम्मीद गिरफ्तारी हेतु वारंटी अभियुक्त के घर पर दविश दी गयी, घर पर मौजूद मिला कि कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 11.40 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

### **गम्भीरपुर**

#### **एक नफर वारण्टी गिरफ्तार**

दिनांक- 09.10.2021 को उ.नि. संजय सिंह चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय राह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के भ्रमणशील था कि मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट आजमगढ़ धारा 382 भादवि स्टेट बनाम रामफेर मे वान्छित वारण्टी की तलाश करता हुआ ग्राम गोमाडीह वारण्टी रामदवर पुत्र निउत के घर पहुचा वारण्टी घर पर मौजूद मिला जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामदवर पुत्र निउत सा0 गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया । अतः वारण्ट दिखाकर व कारण गिरफ्तारी बताकर समय 09.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया बाद आवश्यक कार्यवाही वारण्टी उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।